कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

(परिवहन एवं आयुध)

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्याः लॉजि0-आरमोरर-16/2018 दिनांक : जुलाई 20, 2018.

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
<u>सुलतानपुर/भदोही।</u>

विषय :- मुख्य आरक्षी आरमोरर से उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति हेतु बोर्ड प्रपत्र-32 में सूचना/घोषणा-पत्र 03-03 प्रतियों में मय चरित्र पंजिका उपलब्ध कराये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि ''उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016'' के संगत प्रावधानों के अनुसार मुख्य आरक्षी आरमोरर से मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने हेतु 02 मुख्य आरक्षी आरमोररों की सूची प्रेषित की जा रही है।

2. ''उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016'' में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उपनिरीक्षक आरमोरर की शत-प्रतिशत रिक्तियॉं प्रोन्नति व्दारा बोर्ड के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकृत करते हुए ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोररों से भरी जायेगी जो-

1-चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों।
2-सेना अथवा अर्धसैनिक बल का आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स उत्तीण हों।
3-वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।

3. सेना अथवा अर्धसैनिक बल का ग्रेड-2 उत्तीर्ण 02 मुख्य आरक्षी आरमोररों की पात्रता सूची उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **police units-police hqrs-phq circulars-armed police establishment** पर प्रकाशित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सर्वसम्बन्धित को ई-मेल एवं पत्र के माध्यम से भी भेजी जा रही है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

[illegible]	पीएनओ	मुख्य आरक्षी आरमोरर का नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति	जन्मतिथि	भर्ती तिथि	जाति	गृह जनपद	आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति की तिथि	मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति की तिथि	ग्रेड-2 कोर्स करने का वर्ष
[illegible]	782050154	रामशंकर राम	अवतार राम	भदोही	16.10.58	19.4.78	अनु0जाति	बलिया	25.7.81	9.2.97	30.9.17
[illegible]	[illegible]0500041	वीरेन्द्र बहादुर सिंह	जगत पाल सिंह	सुलतानपुर	2.10.59	23.4.79	सामान्य/क्षत्रिय	रायबरेली	9.8.82	4.1.09	30.9.17

4. इसी क्रम में पात्रता सूची में अंकित सेना अथवा अर्धसैनिक बल के आरमोरर कोर्स लेवल-2 उत्तीर्ण 02 मुख्य आरक्षी आरमोररों के सेवा अभिलेख/बोर्ड प्रपत्र-32 में वॉछित सूचनायें एक सप्ताह में नियमानुसार अद्यावधिक कर बोर्ड प्रपत्र-32 में सूचना, चरित्र पंजिका दिनांक 25.07.2018 को पूर्वान्ह तक सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक के माध्यम से लॉजिस्टिक्स कार्यालय, चतुर्थ तल जवाहर भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सम्बन्धित सी0आर0के0 सूचना का मिलान कराकर ही वापस जायेंगे।

(1) भर्ती/चयन वर्ष 2018 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित सभी मुख्य आरक्षी आरमोररों का विवरण बोर्ड प्रपत्र-32 में वर्ष 2008 से 2017 तक के सेवा अभिलेखों की प्रतिष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 30.06.2018 होगी। बोर्ड प्रपत्र 32 को भरने हेतु दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट **police units-police hqrs-phq circulars-armed police establishment** पर उपलब्ध है।

(2) मुख्य आरक्षी आरमोरर की चत्रि पंजिकाऍ एवं बोर्ड प्रपत्र-32 में सूचनाए सम्बन्धित जनपद के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी इकाई के जो पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कम न हों के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी कर्मी का 02 वर्ष या अधिक वर्षो का रिमार्क एक साथ नहीं लिखा होना चाहिए। यदि किसी भी कर्मी का 02 या 02 से अधिक वर्षो का रिमार्क एक साथ लिखा हुआ पाया जायेगा तो इस कार्यालय में किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वर्ष 2008 से 2017 तक प्रत्येक वर्ष की वार्षिक प्रविष्टि अलग-अलग लिखी होनी चाहिए।

(3) कतिपय मुख्य आरक्षी आरमोररों के विरूद्ध अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी व्दारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में सूची में अंकित 73 आरक्षी आरमोररों से स्वघोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अथीयोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघाषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(4) यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित मुख्य आरक्षी आरमोररों व्दारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-32 के निर्धारित कालम में किया जाय। साथ ही सभी आरक्षी आरमोररों के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-32 के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराये जांय।

(5) जिन जनपदों/इकाईयों से चरित्र पंजिकाएं एवं बोर्ड प्रपत्र-32 की सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी, उसे कवरिंग लेटर पर सीओ आफिस, प्रधान लिपिक एवं सी0आर0के0 के मोबाइल नम्बर/सी0यू0जी0 नम्बर जो उपलब्ध हो अंकित किये जांय।

(6) उक्त सूचना A-3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जायेगी।

(7) एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाय। Lines/cells को merge नहीं किया जायेगा।

(8) एक ही cell में नीचे लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप सूचना तैयार कराकर आरक्षी आरमोररों की चरित्र पंजिकाएं, बोर्ड प्रपत्र-32 में सूचना 03 प्रतियों में सी0डी0 सहित, स्वघोषित घोषणा-पत्र 03 प्रतियों में दिनांक 25.07.2018 तक सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक के माध्यम से लॉजिस्टिक्स कार्यालय, चतुर्थ तल जवाहर भवन, लखनऊ में मिलान हेतु भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(डा0 के0एस0 प्रताप कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठा, उ0प्र0 लखनऊ को 02 मुख्य आरक्षी आरमोररों की पात्रता सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूची में सम्मिलित कार्मिकों के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो उनके सम्बन्ध में सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत लॉजिस्टिक्स कार्यालय, जवाहर भवन, चतुर्थ तल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : सूची।

प्रारूप 'क' स्वघोषणा--पत्र

मैं.........................(नाम/पदनाम.............................. व ....पीएनओ)..........पुत्र.........निवासी..... थाना..............जनपद...............वर्तमान में(जनपद/इकाई)...............में नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:

(1)" मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील) नियमावली--1991 के नियम--14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नही है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(2) उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी । यह घोषणा पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

(3) यदि सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील)नियमावली--1991 के नियम--14(1)के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा।

(क) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील)नियमावली--1991 के नियम-- 14(1)के अन्तर्गत जनपद/इकाई ..... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक ....को आरोप पत्र दिया गया है।

(ख) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0..........................धारा ....थाना.........जनपद............ में लम्बित है, जिसमें दिनांक ....को स्थानीय पुलिस अथवा जांच एजेन्सी ....द्वारा आरोप --पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में...................... स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:--स्वघोषणा--पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट(x)दिया जाय।

बोर्ड प्रपत्र–32

आरक्षी आरमोरर से मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का सेवा विवरण

							वर्तमान					वार्षिक		आरक्षी			वार्षिक गोपनीय मंतव्य							सत्यनिष्ठा				दीर्घ दण्ड– नियम–14(1)						लघु दण्ड– नियम–14(2)						वर्तमान		लम्बित			प्रचलित			अभ्यर्थी	
क0सं0	ज्येष्ठता सूची का कमांक	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कैडर	जनपद/इकाई	परिक्षेत्र/अनुभाग	भर्ती की तिथि	आरक्षी आरमोरर के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सेना का आरमोरर ग्रेड–3 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड–3 कोर्स उत्तीर्ण करने का दिनांक	वर्ष	सफल/असफल	वर्ष	माह	दिन	वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का दिनांक	दण्ड की प्रकृति (पदच्युत करना/सेवा से हटाना/वेतनमान में अवनति)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का दिनांक	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड आदि)	दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	आदेश संख्या/दिनांक	निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अपराध संख्या/ धारा/ थाना/ जनपद	न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने का दिनांक	न्यायालय का निर्णय व दिनांक	जांच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	वाद संख्या एवं आदेश का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50